

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई-12/एम/97-11/2012/

दिनांक :

आदेश

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 498 दिनांक 31.5.2012 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 582 दिनांक 27.6.2012 के द्वारा राजस्थान वित्त निगम जयपुर में कार्यरत निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विपरीत प्रतिनियुक्ति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/जमादार के रिक्त पदों पर 1 वर्ष के लिए उनके सम्मुख अंकित कार्यालयों/चिकित्सा संस्थानों में की गई थी, को एतद् द्वारा निरस्त करते हुए कर्मचारियों को उनके पैतृक विभाग में उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त किया जाता है :-

क.सं.	निदेशालय के आदेश क्रमांक एवं दिनांक	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन स्थान
1.	498 दि. 31.5.2012	श्री बिशन सिंह भाटी जमादार	मु. चि. एवं स्वा. अधि. बून्दी
2.	-यथा-	श्री मोहम्मद रईस, संदेश वाहक	मु. चि. एवं स्वा. अ. टोंक
3.	-यथा-	श्री प्रभू लाल गुर्जर, संदेश वाहक	मु. चि. एवं स्वा. अधि. टोंक
4.	-यथा-	श्री रामनिवास मीणा, संदेश वाहक	मु. चि. एवं स्वा. अधि. दौसा
5.	582 दि. 27.6.2012	श्री कमलराय संदेश वाहक	एसएमएस चिकि. जयपुर
6.	-यथा-	श्री रणवीर सिंह संदेश वाहक	-यथा-
7.	-यथा-	श्री ललित राय संदेश वाहक	-यथा-
8.	-यथा-	श्री हीरालाल संदेश वाहक	-यथा-

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक : ई-12/एम/97-11/2012/

दिनांक : 5.7.12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- 1 प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
- 2 प्रमुख शासन सचिव उद्योग विभाग राज. जयपुर।
- 3 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजस्थान वित्त निगम उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
- 4 कार्यकारी निदेशक राजस्थान वित्त निगम जयपुर को उनके पत्रांक आरएफसी/पीए-19 (4) (7)/1370 दिनांक 3.7.2012 के संदर्भ में भेजकर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के आधार पर उक्त कर्मचारियों की विपरीत प्रतिनियुक्ति निरस्त कर आपके अधीन भिजवाए जा रहे हैं।
- 5 निदेशक (जन स्वास्थ्य) मुख्यालय।
- 6 वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
- 8 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी, टोंक एवं दौसा को भेजकर निर्देश है कि आपके अधीन कार्यरत क.सं. 1 से 4 तक के कर्मचारियों को पैतृक विभाग हेतु कार्यमुक्त
- 9 अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर को भेजकर निर्देश है कि आपके अधीन क.सं. 5 से 8 तक के कर्मचारियों को पैतृक विभाग हेतु कार्यमुक्त कर अवगत करावें।
- 10 संबंधित कर्मचारियों को द्वारा उनके प्रभारी अधिकारी के पालनार्थ।
- 11 श्री बिशन सिंह भाटी जमादार मुख्यालय को भेजकर निर्देश है कि आप अपनी उपस्थिति पैतृक विभाग में प्रस्तुत करें।
- 12 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 13 आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर